[ 12/8/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 641 ]

② परिशिष्ट-अ

# न्यायालय कलेक्टर-कटनी (म0प्र0)

## राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

रा0प्र0क्र0 /114/अ-19/2016-17

विषय- भूमि आवंटन

| 1 | 2 |
|---|---|
| 24.05.2017 | प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कटनी से प्राप्त। अवलोकन किया। प्रकरण पंजीबद्ध हो।<br>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि माननीय श्री संदीप जायसवाल विधायक मुड़वारा-93 द्वारा मैहर रोड स्थित बायपास चौराहे के आसपास अन्तर्राज्यीय बस अड्डे हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी के द्वारा अपने पत्र कमांक 585/अ0क्षे0प0अ0/2017 कटनी दिनाँक-17.03.17 के माध्यम से उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम पुरैनी स्थित भूमि ख0क्र0 146/1 में से 6.00 हे0 भूमि आवंटन की मांग की गई। उपरोक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से जाँच प्रतिवेदन लिया गया।<br>तहसीलदार कटनी/अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि प्रकरण पंजीयन किया गया, ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया। इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से जाँच प्रतिवेदन आहुत किया गया। नजूल तहसीलदार से अभिमत/प्रस्ताव आहुत किया गया। आयुक्त नगर पालिक निगम से उक्त संबंध में उनका प्रस्ताव आहुत किया गया। कार्यालय तहसीलदार नजूल कटनी के पत्र क्रमांक-501/तह0नजूल/2017 कटनी दिनाँक-24.03.2017 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पुरैनी स्थित भूमि खसरा नंबर 146/1 में से रकवा 6.00 हैक्टेयर भूमि अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिये आरक्षित किये जाने में अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के पत्र क्रमांक 308/लोनिनिर्माण/2017 कटनी दिनाँक 21.04.2017 के अनुसार उक्त भूमि पर थोक व्यापार हेतु व्यापारियों को गोदाम उपलब्ध कराये जाने की योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव पारित कर पत्र क्रमांक-134 दिनाँक-03.12.16 के द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया गया है जिस कारण से उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति नहीं दी जा सकती है। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पुरैनी स्थित भूमि खसरा नंबर 146/1 रकवा 28.010 हेक्टेयर भूमि अभिलेख में म0प्र0 नजूल सरकार (शासकीय) चरनोई दर्ज है एवं कैफियत कॉलम में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु सुरक्षित की गई है। मौके पर 20 हैक्टेयर भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर हेतु बिजली के पोल, सड़क, नालियां, वगैरह बनी हुई है। शेष बची भूमि में से 06 हैक्टेयर भूमि रिक्त है जो चाका बायपास मार्ग से लगी हुई है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि बॉयपास मार्ग एवं ट्रांसपोर्ट नगर से लगी हुई है, जिस कारण से अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु यह उपयुक्त भूमि है। थोक व्यापार हेतु व्यापारियों को गोदाम का निर्माण किसी अन्य भूमि पर कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों ने ग्राम पुरैनी स्थित भूमि खसरा नंबर 146/1 रकवा 28.010 हैक्टेयर में से रकवा 06.00 हैक्टेयर भूमि पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु भूमि सुरक्षित कर आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। |



कलेक्टर
कटनी (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

# राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

विषयः- भूमि आवंटन

रा0प्र0क्र0 /1149/अ-19/2016-17



1 मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदनों तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। श्री संदीप जायसवाल माननीय विधायक मुड़वारा-03 द्वारा मैहर रोड स्थित बायपास चौराहे के आसपास अन्तर्राज्यीय बस अड्डे हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया। इसी संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी के द्वारा ग्राम पुरैनी स्थित ख0नं0 146/1 में से 6.00 हे0 भूमि आवंटन की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा प्रकाशित इश्तहार में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तहसीलदार नजूल ने उक्त भूमि आवंटन के संबंध में अनापत्ति दी है। आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी द्वारा तहसीलदार कटनी को संबोधित पत्र दिनांक-21.04.2017 में लेख किया गया है कि ग्राम पुरैनी स्थित भूमि ख0नं0 146 में से रकबा 8.07 हे0 भूमि थोक व्यापार गोदाम निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का अनुरोध कलेक्टर महोदय से किया गया है। अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति नहीं दी सकती है। आयुक्त, नगर पालिक निगम कटनी के उक्त पत्र के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा लेख किया गया कि उक्त भूमि बायपास मार्ग एवं ट्रांसपोर्ट नगर से लगी हुई है, जिस कारण से अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु यह उपयुक्त भूमि है। थोक व्यापार हेतु व्यापारियों को गोदाम का निर्माण किसी अन्य भूमि पर कराया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिवेदनो से स्पष्ट है कि ग्राम पुरैनी तहसील कटनी स्थित ख0नं0 146/1 में से 6.00 हे0 भूमि अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भूमि है। ऐसी स्थिति उपरोक्त भूमि का अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु आवंटन किया जाना विधिसम्मत होगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने भी आवेदित भूमि अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः प्रकरण की उक्त विवेचना एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए ग्राम पुरैनी तहसील कटनी स्थित भूमि ख0नं0 146/1 में से 6.00 हे0 शासकीय चरनोई मद की भूमि जो प्रकरण में संलग्न नक्शा प्रदर्श पी-1 में हरी स्याही से चिन्हांकित है को युक्तियुक्त व्यपवर्तित कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्रमांक-1 की कंडिका-36 के तहत अंतर्राज्यीय बस अड्डे हेतु म0प्र0शासन परिवहन विभाग को आवंटित की जाती है।

नक्शा प्रदर्श पी-1 आदेश का भाग माना जाये। आदेश की प्रति तथा नक्शा प्रदर्श पी-1 की प्रति अनुविभागीय अधिकारी कटनी को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के भीतर आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कर खसरा, नक्शा की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रकरण समाप्त, नस्ती दाखिल रिकार्ड हो।

कलेक्टर
जिला कटनी
कटनी (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner